रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2011/श्रावण 6, 1933
No. 422] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2011/SRAVANA 6, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 577(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी कार्य विभाग (वर्तमान में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय), प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालय (कनिष्ठ तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 2000 तथा उद्योग मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 जहां तक ये नियम कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद से संबंधित हैं, का अधिक्रमण करते हुए इस अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा लोप किए गए कार्यों को छोड़कर, एतद्द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद पर भर्ती करने के तरीके को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख.**—(1) इन नियमों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कनिष्ठ तकनीकी सहायक समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद हेतु भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

"अनुसूची"

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन- सह- वरिष्ठता अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जेटीए)	212* (2011) फील्ड कार्यालय 19* (2011) मंत्रालय कुल 231* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	पीबी-2, 4200 रु. के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रु. बैंड पे	चयन एवं योग्यता	लागू नहीं।	30 वर्ष* (*केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को छूट देते हुए 40 वर्ष) टिप्पणी 1: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (यह तारीख असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के स्पीति

						जिला और पांगी उप-मंडल तथा चम्बा जिला, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित तारीख अंतिम तारीख नहीं होगी)। टिप्पणी 2: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नाम मांगे जाने की अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता**
8	9	10	11
अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में डिग्री अथवा विधि में डिग्री	लागू नहीं।	दो वर्ष	i) 50% कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती से ii) 50% उच्च श्रेणी लिपिक और अधीक्षक ग्रेड-III के फीडर ग्रेड से पदोन्नति द्वारा

टिप्पणी 1: अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार से अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है। यदि हां, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
1. पदोन्नति: कारपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिक तथा अधीक्षक ग्रेड-III जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' अराजपत्रित विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप सचिव/निदेशक (प्रशासन), कारपोरेट कार्य मंत्रालय- अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (प्रशासन) कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई अधिकारी जिसका स्तर भारत सरकार के अवर सचिव से नीचे न हो- सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं. ए-12011/04/2010-प्रशा.-II]

अ. कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2011

G.S.R. 577(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Department of Company Affairs (presently known as Ministry of Corporate affairs), Offices of Regional Directors, Registrar of Companies and Official Liquidator (Junior Technical Assistant) Recruitment Rules, 2000 and Ministry of Industry, Department of Company Affairs, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules 1987, in so far as they relate to the post of Junior Technical Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby, makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Junior Technical Assistant in the Offices of Regional Directors, Registrar of Companies and Official Liquidators in the Ministry of Corporate Affairs namely:-

(1) Short Title and commencement: - (1) These Rules may be called the Ministry of Corporate affairs, Junior Technical Assistant- Group 'B', Non-Gazetted Posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, classification and scale of Pay:-** The number of posts , its classification and scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification, etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. **Disqualification:-** No person:-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) Who having a spouse living has contracted into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempts any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6 **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Ex-servicemen an other special category of persons in according with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

"SCHEDULE"

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum seniority or non-selection-post	Whether benefit of added years of admissible under the rule 30 of the Central Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Technical Assistant (JTA)	231* (2011) * Subject to variation depending on the workload.	General Central Service Group 'B', Non Gazetted, Ministerial	PB-2, Band Pay Rs.9300-34800 with GP Rs.4200	Selection cum merit	Not applicable	30 years* (*Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note1**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak,

			Division of Jammu and Kashmir, and Spiti Districts and Pangi sub-division and chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Andman and Nicobar Island or Lakshdweep). **Note 2**: In case of recruitment made through the Staff Selection Commission the crucial date for determining age limit shall be he last date upto which the Staff Selection Commission is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification. Prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : Degree in Commerce or Economics or degree in Law from a recognized university **Note** 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service	Not applicable	Two years	i) 50% by Direct recruitment through Staff Selection Commission. ii) 50% by Promotion from

Commission/Staff Selection Commission in case of candidates other wise well qualified.		feeder Grade of UDC and Superintendent Gr. III.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
1. Promotion: Upper Division clerk and Superintendent Gr. III working in the regional offices of Ministry of Corporate Affairs having 10 years regular service after appointment thereto.	Group 'B', Non-Gazetted Departmental Promotional Committee 1. Deputy Secretary/Director (Admn), Ministry of Corporate Affairs-Chairman 2. Under Secretary (Admn), Ministry of Corporate Affairs - Member 3. An Officer belonging to SC/ST category not below the level of Under Secretary to the Govt. of India–Member	Not applicable

[F. No. A-12011/04/2010-Ad. II]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.